लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-I, नई टिहरी के माह 08/2013 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (25.04.2016 से 29.04.2016), श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शोखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22/04/2016 से 29/04/2016 तक में सम्पन्न लेखापरीक्षा का डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-I, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

प्रस्तावनाः-

1. इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री भीम सेन सिंह, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 28/08/2013 से 03/09/2013 तक श्री दिनेश रमोला, सम्प्रेक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 28/08/2013 से 03/09/2013 तक में सम्पन्न हुयी थी जिसमें खण्ड के माह 05/2010 से 07/2013 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 03/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री वी.के. मौर्या - 07/2011 से 20.08.2014 तक

2. श्री शरद श्रीवास्तव - 28.08.2014 से वर्तमान तक

3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहेः-

1- श्री सिद्धार्थ मोहन डोभाल - विगत लेखापरीक्षा से 08/2014 तक

2- श्री खुशहाल सिंह राणा - 08/2014 से वर्तमान तक।

4. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा खण्ड का गत सम्प्रेक्षण से, अब तक की अवधि के दौरान का निरीक्षण। 03/2015

5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक लेखाबन्दी माह मार्च 2014 तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक लेखाबन्दी माह 09/2014 में की गई।

6- फार्म 51: माह 11/2015 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम रू0 - 27,51,000

भाग द्वितीय रू0 - 93,826

7- खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 03/2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	रू0	4,13,343
(ख) सामग्री क्रय	रू0	शून्य
(ग) नकद परिशोधन	रू0	शून्य

(घ) निक्षेप रू0 2,37,91,155

8- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र0सं0	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित कण्डिकाएं	
		भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'
1.	78/89-90		1,2,3
2.	165/91-92		1,2,3,4
3.	140/92-93		1,2
4.	35/95-96		1,2,3,4
5.	04/96-97		1,2
6.	207/97-98		1,2,3,4
7.	147/98-99		1,2,3
8.	11/99-2000	1,2,3	-
9.	92/04-05	1,2	-
10.	48/07-08	1	-
11.	11/10-11	1	1,2,3
12.	29/13-14	-	1

9. अप्रस्तुत अभिलेखः- MB No- 339/T

10. सतत अनियमिततायेः- शून्य

11. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

क्रम संख्या	वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन		कुल व्यय	
			प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान
1.	2013-14	2701,2702,2711,4700,4711,2245,8443	292.30	217.14	290.22	81.56
2.	2014-15	2701,2702,2711,4700,4711,2245,8443	309.47	992.17	309.47	722.69
3.	2015-16	2701,2702,2711,4700,4711,2245,8443	1805.04	818.64	1597.48	633.48

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1- सही दर से Royalty न काटे जाने से ` 1,48,675 के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 62/VII-11-13/24 ख/2007 दिनांक 18.01.2013 के द्वारा विहित प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त होने वाली नदी तल में उपलब्ध उपखनिज साधारण बालू, मोरंग, बजरी या बोल्डर अथवा इनमें से कोई भी मिली-जली अवस्था में उपखनिज पर ` 90 की दर से Royalty निर्धारित की गयी थी तथा पूर्व में जारी Royalty की दर ` 40/45 को संशोधित कर ` 80/90 प्रति घनमीटर कर दिया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त अधिसूचना के अनुसार ठेकेदारों से रायल्टी न काट कर पुराने दर पर ही Royalty काटी गयी थी (विवरण संलग्न)। जिससे कि शासन को ` 1,48,675 के कम राजस्व की प्राप्ति हुई।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया कि शासनादेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बढ़ी हुई दर पर रायल्टी नहीं काटी जा सकी। ठेकेदारों से रायल्टी की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः2- सींच लक्ष्यों की प्राप्ति न होना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी के सींच एवं नहरों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत परिचालित 14 नहरे जिनका CCA 481 है एवं प्रस्तावित सींच 571 हैक्टेयर (319 खरीफ + 252 रबी) थी। उनके द्वारा विगत 03 वर्षों (वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15) तक अधिकतम 59 हैक्टेयर एवं न्यूनतम 40 हैक्टेयर सींच ही उपलब्ध कराई जा रही थी जो कि प्रस्तावित सींच का 10 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत है (विवरण संलग्न है)।

लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तावित सींच के सापेक्ष 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत सींच उपलब्ध कराने के प्रश्न पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतम सींच प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि विगत तीन वर्षों से लगातार उक्त नहरों से कम सीच प्राप्त हो रही है जबकि खण्ड द्वारा इस अवधि में 09 नहरों पर ` 14.96 लाख की धनराशि भी व्यय की है।

अतः खण्ड द्वारा नहरों के प्रस्तावित सींच लक्ष्यों को प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-I, नई टिहरी** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II